हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की चतुर्थ नियमिति बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 17 अगस्त, 2017 को पूर्वाहन 11:00 बजे आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :—

- 1— श्री अनिरूद्ध सिंह, माननीय विधायक प्रतिनिधि वि"वविद्यालय कोर्ट
- 2- डॉ० बी.एल. बिन्टा. निदे"ाक उच्च िक्षा
- 3— आचार्य ज.बी. नङ्डा, वि"वविद्यालय व्यवसाय स्कूल
- 4- आचार्य एस०एस० चौहान, अधिष्ठाता समाज-विज्ञान संकाय
- 5— आचार्य डी.के. शर्मा, अधिष्ठाता भौतिक–विज्ञान संकाय
- 6- श्री रिखी राम, प्रतिनिधि प्रधान सचिव(वित्त)
- 7- श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर-िशक्षिक कर्मचारी
- 8- डॉ० (श्रोमती) "यामा जो" ी, सह-आचार्य
- 9— डॉ0 पंकज ललित, कुलसचिव

–सदस्य–सचिव

<u>मद संख्या—1:</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की चतुर्थ नियमित बैठक में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

उन्होंने परिषद् को अवगत कराया कि गत बैठक के बाद विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:—

- 1. दिनांक 10 जुलाई, 2017 को यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र में क"मीर मृद्दे पर व्याख्यान दिया।
- 2. दिनांक 10 जुलाई, 2017 को तकनीकी कर्मचारी हेतु भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई।
- 3. दिनांक 17 जुलाई, 2017 संस्कृत विभाग के छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
- 4. दिनांक 20 जुलाई, 2017 को इन्दिरा गांधी खेल परिसर गिंमला में बु"ू खेल पर आधारित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- 5. दिनांक 21 जुलाई, 2017 को इन्फलिबिनेट की पराम"दाता समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
- 6. दिनांक 1 अगस्त, 2017 को वि"वविद्यालय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- 7. दिनांक 3 अगस्त, 2017 को शैक्षणिक परिषद् की बैठक आयोजित की गई।
- 8. दिनांक ४ अगस्त, २०१७ को वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई।
- 9. दिनांक ७ अगस्त, २०१७ को केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- 10. दिनांक 7 अगस्त, 2017 को यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द में उन्मुखी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- 11. दिनांक 8 व 9 अगस्त को विष्वविद्यालय खेलकूद व अन्य पाठ्येतर गतिविधियों की परिषद् की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की तथा महाविद्यालय प्राचार्यों से विचार विमर्ष किया।
- 12. दिनांक 15 अगस्त, 2017 को 71वें स्वतन्त्रता दिवस पर ध्वजा रोहण किया गया।

तदोपरान्त उन्होंने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

बैठक में कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व कुलसचिव महोदय ने वि"वविद्यालय परिसर में तैनात गृह रक्षक प्रभारी श्री जगदी"। चन्द के दिनांक 16—08—2017 को एक सड़क दुर्घटना में आकिस्मिक निधन के बारे में परिषद् को अवगत करवाया जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने उनके आकिस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया व संकट की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ अपनी गहरी सवेदनाएं व्यक्त कीं।

मद संख्या—2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 24—05—2017 व 29—06—2017 में लिए गए निर्णयों का पृष्टिकरण।

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 24-05-2017 व 29-06-2017 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या—3: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 24—05—2017 व 29—06—2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 24—05—2017 व 29—06—2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का निम्नलिखित <u>टिप्पणी / सं"ोधन</u> के साथ अनुमोदित किया:—

....

बैठक दिनांक 24-05-2017:

(मद संख्या—12): सदस्य आचार्य एस.एस. चौहान ने उक्त मद के अंतर्गत लिए गए निर्णय जिसमें कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ० सुधीन मिश्रा, श्री छेरिंग दोरजे तथा श्री किनष्ठ पांडे को कम"ा: D.Sc., D.Lit एवं Ph.D Sports में ओनर कोसा उपाधि (Honoris Degree Causa) प्रदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की थी पर आपत्ति जताई तथा कहा कि उक्त उपाधियां प्रदान करने के निर्णय से पूर्व उक्त विद्वानों की उपलब्धियों बारे सम्पूर्ण सूचना कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष नहीं रखी गई जिससे उनकी पात्रता का आकलन नहीं किया जा सकता। आचार्य एस.एस. चौहान द्वारा उठाए गए मुद्दे का परिषद् के अन्य सदस्यों ने भी समर्थन किया।

मामले पर चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि कुलपित महोदय मामले पर माननीय कुलाधिपित महोदय से चर्चा करें तदोपरांत उक्त विद्वानों की पात्रता सम्बन्धी सूचना के साथ मामला पुनः कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा जाये।

(मद संख्या—13)ः कार्यकारिणी परिषद् ने प्रदे"। सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर डाँ० आभा चौहान खिमटा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग को उनकी नियुक्ति से पूर्व उनके द्वारा वि"वविद्यालय विधिक अध्ययन संस्थाान में स्वयं वित्त पोषित योजना के अंतर्गत लिए जा रहे वेतन व ग्रेड पे को संरक्षित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक दिनांक 29-06-2017:

(यथा—स्थान की गई चर्चा): कार्यकारिणी परिषद् ने यथा—स्थान चर्चा में पैरा—4 के अंतर्गत वि"वविद्यालय के विभिन्न विभागों / संस्थानों में स्वयं पोषित योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को वि"वविद्यालय की मुख्य धारा में समायोजन करने व इनके नियमितीकरण के मामले का परीक्षण करने के लिए गठित समिति के गठन में निम्न सं"गोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की:—

1- आचार्य जे.बी. नड्डा
 2- आचार्य एस.एस. चौहान
 3- श्री चन्द शेखर
 4- श्रीमती राज कुमारी
 5- सहायक कुलसचिव(स्था०)

मद संख्या—4: कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा—12 —सी (7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाने बारे।

. . . .

i)Allowing one time relaxation to declare the result of BBA students those who have appeared in BBA (RUSA) Ist, 2nd and 3rd Semester in course Code-BA/B.Sc./B.Com./01/02/03 EVS (Audit Based) instead of BBA- 4th Semester in course Code BBA-407 EVS(Audit Based). This shall not be quoted as precedent for future.

ii)" क्षिणिक परिषद् की स्थायी समिति की आपातकालीन बैठक दिनांक 2—7—2016 में मद संख्या—1 में लिए गए निर्णयानुसार सी.बी.सी.एस. (रूसा) प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2013—2014 में पंजीकृत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों जिनका अन्तिम सत्र का परीक्षा परिणाम जून, 2016 में घोषित किया गया था ऐसे छात्रों को उपाधि उतीर्ण के उपरान्त CGPA से समकक्ष अंक प्रति" तता सम्बन्धी परिवर्तन फॉर्मूला (Conversion Formula) को दिनांक 4 जुलाई, 2016 को अधिसूचित किया गया था (Annexure-A) तदोपरांत उक्त परिवर्तन फॉर्मूला को सत्र 2017—2018 तथा उसके बाद पंजीकृत छात्रों के लिए भी जिसे माननीय कृलपति महोदय द्वारा उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करने के उपरान्त शैक्षणिक शाखा द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है (Annexure-B)।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपित महोदय द्वारा वि"वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों को नोट कर अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–5</u>: कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समय के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या—6: हिमाचल प्रदे"। वि"वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, िंगमला में इतिहास विभाग में डाँ० विवेक दागी द्वारा रिक्त किए गए सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के संदर्भ में।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और यह निर्णय लिया कि चूंकि वि"वविद्यालय में हुई िं।क्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में न्यायाधीन है, अतः इन नियुक्तियों पर माननीय न्यायालय का आदे"। आने की प्रतीक्षा की जाए तथा तब तक प्रतीक्षा सूची की निर्धारित वैधता अविध तक कोई नियुक्ति न की जाए।

मद संख्या—7: हिमाचल प्रदे"। वि"वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती िंक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र के हिन्दी विभाग में सहायक आचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के संदर्भ में प्रकरण कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और यह निर्णय लिया कि चूंकि वि"वविद्यालय में हुई "क्षिकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में न्यायाधीन है, अतः इन नियुक्तिया पर माननीय न्यायालय का आदे"। आने की प्रतीक्षा की जाए तथा तब तक प्रतीक्षा सूची की निर्धारित वैधता अविध तक कोई नियुक्ति न की जाए।

मद संख्या—8: भोजिया डैन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, बुद्द, बद्दी तहसील नालागढ जिला सोलन, हि0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे एम.डी.एस. के छः कोर्सों को स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारि"ं कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

कार्यकारिणी परिषद् ने निरीक्षण समिति की सिफारि"ोां पर भोजिया डैन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, बुद्द, बद्दी तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे एम.डी.एस. के चार कोर्सों (MDS Pedodontics & Preventive Dentistry-2 Seats, Orthodontics-5 Seats, Oral Pathology & Micro-Biology-2 Seats, Prosthodontics-5 Seats) को सत्र 2017—18 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतू अपनी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने एम.डी.एस. विषय के दो कोर्सों (i-Conservative Dentistry Endodontics, ii-Periodontics) को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने बारे निरीक्षण समिति द्वारा लगायी गई शर्तों की अनुपालना उपरान्त मामले को पुनः परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या—9: हिमाचल प्रदे"। वि"वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों की सेवानिवृत्ति का सत्रांत 31 मार्च से 30 जून करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

वार्षिक परीक्षा प्रणाली में स्नातक कक्षाओं के लिए शैक्षणिक सत्र जो कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 09—10—1987 को हुई बैठक में मद संख्या—15 के अंतर्गत 31 मार्च निर्धारित किया था, सत्र 2013—14 से स्नातक स्तर पर रूसा प्रणाली के सी.बी.सी.एस. एवं समैस्टर प्रणाली में परिवर्तित होने के फलस्वरूप 30 जून निर्धारित करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

<u>मद संख्या—10:</u> डाँ० प्रका"। चंदेल, आचार्य वाणिज्य विभाग, सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र द्वारा वाणिज्य विभाग, स्नातकात्तर केन्द्र में स्थाई स्थानांतरण हेतु किए गए निवेदन को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के संदर्भ में।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर चर्चा के उपरान्त डॉ॰ प्रका"। चंदेल के अभ्यावेदन व पूर्व में अन्य केन्द्रों से स्थानांतरित किए गए िंक्षिको के स्थानांतरण के मामलों का परीक्षण करने के लिए निम्न समिति का गठन किया:—

1. श्री अनिरूद्ध सिंह —अध्यक्ष

2. आचार्य जे.बी.नड्डा –सदस्य

3. आचार्य एस.एस.चौहान –सदस्य

4. सहायक कुलसचिव(स्थापना) —समन्वयक

उपरोक्त समिति यथा"गिघ्र अपनी सिफारि"ां कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या—11: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष डुपलिकेट रिजस्ट्रे"ान शुल्क / कार्ड एवं गुप्त परीक्षा परिणाम जारी करने हेतु निर्धारित शुल्कों में सं"गोधन का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 30—7—2014 को हुई बैठक में मद संख्या—13 के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न शुल्कों जिसे अधिसूचना संख्याः 5—3/2011—12/हि.प्र.वि.(परीक्षा भण्डार) दिनांक 22—8—2014 द्वारा अधिसूचित किया गया था में शीर्षक विविध प्रभार/फॉर्म/दस्तावेज शुल्क के क्रमांक—8 पर डुपलिकेट रजिस्ट्रे"ान कार्ड शुल्क व क्रमांक—25 (Per Result) (Each Time) पर उल्लेखित गोपनीय परीक्षा परिणाम शुल्क को यथावत रखने, क्रमांक—26(A) को हटाने, और क्रमांक—46 पर डुपलिकेट रजिस्ट्रे"ान कार्ड (2nd time, 3rd time & 4th time) का शुल्क क्रम"ाः रू० 800/1000/1200 करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या—12: हिमाचल प्रदे"। वि"वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 04—08—2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 04–08–2017 को आयोजित बैठक की सिफारि"गों को **संलग्नक** के अनुरूप निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया:–

(मद संख्या—12): उक्त मद पर सदस्या श्रीमती राज कुमारी ने कहा कि वि"विवद्यालय में 1989 के बाद पदों का सृजन नहीं हुआ है, जबिक वि"विवद्यालय की स्थापना के बाद जब वि"विवद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या काफी कम होती थी, वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 350 हो गई है। अतः कार्य की अधिकता के मद्देनज़र वि"विवद्यालय में अतिरिक्त पदों का सृजन करना आव"यक हो गया है। उन्होंने मांग की कि अधीक्षक और इससे ऊपर की श्रेणियों के पदों के सृजन के औचित्य का परीक्षण करने के लिए एक सिमित का गठन किया जाए तािक वि"विवद्यालय में अतिरिक्त पदों का सृजन हो सके।

मामले पर चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि वि"वविद्यालय में अतिरिक्त पदों के सृजन हेतू मामला पुनः पूर्ण तथ्यों एवं औचित्य सहित वित्त समिति के समक्ष रखा जाए।

(मद संख्या—47): सदस्या श्रीमती राज कुमारी ने कहा कि वित्त समिति में कर्मचारियों का प्रतिनिधि न होने के कारण समिति के समक्ष इस श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों पर उचित पक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि कार्यकारिणी परिषद् जो कि इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, वित्त समिति के गठन में आव"यक सं"गोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति हेतू प्रेषित करें।

मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की सिफारि"ों के अनुसार वित्त समिति के गठन में गैर—िक्षक कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के प्रस्ताव को प्रदे"। सरकार से उठाने का निर्णय लिया।

मद पर विस्तार से चर्चा उपरान्त कार्यकारिणी परिषद ने मामले को पुनः पूर्ण तथ्यों व औचित्य सहित परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या—14: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष हिमाचल प्रदे"। सरकार कार्मिक विभाग की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन में साक्षात्कार को समाप्त कर शैक्षणिक, मूल्यांकन पद्धति के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने बारे अधिसूचना को हिमाचल प्रदे"। वि"वविद्यालय में अपनाने हेतु मामला विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन में साक्षात्कार को समाप्त कर शैक्षणिक, मूल्यांकन पद्धित के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने बारे हिमाचल प्रदे"। सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारो अधिसूचना संख्या Per(AP.B)B(15)-5/2014 दिनांक 17.04.2017 व 25—04—2017 को **संलग्नक** के अनुरूप वि"वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से अपनाने हेतू अनुमोदित किया।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त श्रेणियों हेतु भर्ती प्रक्रिया जो पहले शुरू हो चुकी है पूर्व प्रचलित पद्धति के अंतर्गत ही की जाएंगी।

मद संख्या—15: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विभिन्न विषयों में सह आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नित हेतु आयोजित चयन समिति(यों) की सिफारिषें प्रस्तुत करने बारे।

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशों को परिषद में प्रस्तुत किया सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं:—

- 1. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य, एम.टी.ए.विभाग, हि.प्र.वि. "ामला—5
 - डा. सोनिया खान, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नित योजना के अंतर्गत आचार्य के पद पर दिनांक 01.07.2015 से पदोन्नित हेतु सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

- 2. जीवनवृत उन्नित योजना के अंर्तगत आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, हि.प्र. वि. "गिमला—5
 - डा. जवाहर ठाकुर, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नित योजना के अंर्तगत
 आचार्य के पद पर दिनांक 28.09.2016 से पदोन्नित हेतू सिफारिषे की गई।
 - 2. डा. अनीता गणपति सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य के पद पर दिनांक 22.02.2017 से पदोन्नति हेतु सिफारिषे की गई।

इसके अतिरिक्त डा. धीरेन्द्र शर्मा, सह आचार्य (प्रोग्रामिंग)—एवं—प्रोग्रामर, कम्प्यूटर केन्द्र (वर्तमान में विष्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में तैनात) के पदोन्नति प्रकरण के सन्दर्भ में निम्नलिखित सिफारि"। की गई:— Not found suitable for the post of Professor under C.A.S.

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मित से चयन सिमित की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

यथा-स्थान की गई चर्चाः

निदे"क उच्च िक्षा एवं सदस्य डाँ० बी.एल.बिन्टा ने राजकीय महाविद्यालयों से लिए जाने वाले संबद्धता शुल्क का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और कहा कि राजकीय महाविद्यालयों के पास ऐसी कोई निधि नहीं होती जिससे यह वि"विवद्यालय द्वारा लिए जाने उक्त शुल्क का भुगतान कर सकें। जिस पर कुलपित महोदय ने उन्हें अवगत कराया कि यदि वि"विवद्यालय राजकीय महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क न लेकर केवल गैर—राजकीय महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क लेता है तो इससे न केवल वि"विवद्यालय के आय के संसाधनों में कमी आयेगी जिस पर प्रदे"। सरकार बार—बार दवाव डालती रहती है बिल्क इससे कानूनी पेचीदिगयां भी उत्पन्न होंगी। मामले पर चर्चा के उपरान्त इसे पूर्ण तथ्यों सिहत कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखने का निर्णय लिया।

सदस्या श्रीमती राजकुमारी ने परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया कि सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (UIIT) में कार्यरत श्री नरें"। कुमार, प्रयोग"।।ला परिचर जो इस संस्थान में स्वयं—पोषित योजना के अंतर्गत कार्यरत थे अगस्त, 2010 में वि"वविद्यालय की मुख्य धारा में रिक्त पद के विरुद्ध नियमित किया गया था लेकिन आज तक उनका इस पद पर स्थायीकरण (confirmation) नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त श्री विजय ठाकुर जो अप्रैल, 2012 में प्रदे"। सरकार की नियमितीकरण की अधिसूचना के अंतर्गत वि"वविद्यालय की मुख्य धारा में भौतिक विभाग में स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध प्रयोग"।।ला परिचर के पद पर तदर्थ आधार पर किया गया था उनकी सेवाओं को वि"वविद्यालय में उसी पद पर नियमित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा ये प्रयोग"।।ला परिचर जो इतने वर्षों से वि"वविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं का कम"।: इन रिक्त पदों के विरुद्ध स्थायीकरण व नियमितीकरण किया जाए। मामले पर चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने प्रकरण का परीक्षण कर प्रकरण को यदि आव"यक हो तो वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

श्रीमती राज कुमारी ने सुरक्षा शाखा में भाड़े पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों जिन्हें वित्त समिति ने पिछले वर्ष अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने हेतु अपनी सिफारि"। की है को उनकी आयु के मध्यनजर रखते हुए वित्त समिति के निर्णय की तिथि के वजाय उनकी नियुक्ति की तिथि से अनुबन्ध आधार पर करने का मामला भी कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वि"वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में मैस हैल्परों के लिए पदों के सृजन का मामला उठाया ताकि इन मैस

हैल्परों जो पिछले कई वर्षों से छात्रावासों में कार्य कर रहे हैं इन्हें वि"वविद्यालय की मुख्य धारा में लाया जा सके।

इसके अतिरिक्त श्रीमती राज कुमारी ने चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नित का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और कहा वि"विवद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कई कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी में पदोन्नित हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हैं को भर्ती एवं पदोन्नित नियमों में एकमु"त छूट देकर तृतीय श्रेणी अर्थात लिपिक के पद पर पदोन्नित किया जाए। जिस पर कुलसचिव महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नित हेतु निर्धारित कोटा पहले ही ज्यादा चल रहा है इसलिए चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नित सम्भव नहीं है।

उपरोक्त मामलों पर चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने भाड़े पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से अनुबन्ध आधार पर करने, छात्रावासों में मैस हैल्परों के पदों का सृजन और चतुर्थ श्रेणी से तृतोय श्रेणी में पदोन्नित हेतु एकमु"त छूट प्रदान करने के लिए मामलों पुनः पूर्ण तथ्यों व औचित्य सहित वित्त समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया।

सदस्या श्रीमती राज कुमारी ने गैर—िक्षक कर्मचारियों के आवासों में चल रहे मुरम्मत के कार्य का मामला कार्यकारिणी परिषद् के उठाया और कहा कि चैरिटन इस्टेट में गैर—िक्षकों कर्मचारियों के आवासों की मुरम्मत का कार्य जो वर्तमान में चल रहा है के सही ढंग से न होने और ठीक सामग्री का इस्तेमाल न होने बारे कर्मचारियों से बहुत िक्षायतें प्राप्त हो रही हैं जिसकी एक प्रति कुलसचिव महादय को भी प्रेषित की गई है। श्रीमती राज कुमारी द्वारा उठाये गए मामले का आचार्य जे.पी. नड्डा ने भी समर्थन किया और कहा कि िक्षकों को आवंटित आवासों की हालत भी ठीक नहीं है, और निर्माण मण्डल में िकायत करने पर भी आवासों में मुरम्मत कार्य नहीं हा रहा है। आचार्य नड्डा ने इस बात पर बल दिया कि जब तक कोई िक्षक या कर्मचारी उन्हें आबंटित आवास का कब्जा (possession) नहीं लेता तब तक उनसे लाइसैंस शुल्क बसूल न किया जाए। अतः सदस्यों ने कहा कि इस सम्बन्ध में अधि"॥सी अभियन्ता(रख—रखाव) से कार्य की वस्तुस्थिति रिपोर्ट मांग कर कार्यकारिणी परिषद् को अगली बैठक में अवगत कराया जाए।

श्रीमती राज कुमारी द्वारा उठाये गये आवासों के मामले पर कुलसचिव महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि इस बारे अधि"॥सी अभियन्ता(रख—रखाव) से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त वे स्वयं वि"वविद्यालय के विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों, सदस्या कार्यकारिणी परिषद् व वि"वविद्यालय कोर्ट के साथ मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे तथा निर्माण मण्डल को मामले में आव"यक कार्रवाई हेतु आदेि"ात करेंगे।

अन्त में बैठक पीठ का धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

हस्ता0/– (डॉ0 पंकज ललित) कुलसचिव सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता० / —

(आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान) कुलपति / सभापति PROCEEDINGS OF THE MEETING OF FINANCE COMMITTEE HELD ON 04.08.2017 AT 3.00 PM AT ARMSDALE BUILDING H.P SECRETARIAT SHIMLA-171002(H.P.) UNDER THE CHAIRMANSHIP OF HON'BLE VICE-CHANCELLOR, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA – 5.

The meeting of Finance Committee was held on 04.08.2017 at 3.00PM under the Chairmanship of Hon'ble Vice-Chancellor wherein the followings were present:

1.	Prof. Rajinder Singh Chauhan,	Vice-Chancellor HPU	Chairman
2.	Dr. Shrikant Baldi,	Addl.Chief Secretary, (Finance) Govt. of H.P.	Member
3.	Sh. Anirudh Singh,	Hon'ble M.L.A. (Nominee of HPU EC)	Member
4.	Prof. S.S. Chauhan,	Dean CDC, HPU	Member
5.	Prof. S.C. Bhadwal,	Retired Professor, Department of Education	Member
6.	Dr. Pankaj Lalit,	Registrar, HPU	Member
7.	Sh. Narinder Thakur,	Finance Officer, HPU,	Member Secretary

Item Vice-Chancellor's Statement No. 1:

At the very outset, the Hon'ble Vice-Chancellor welcomed the Hon'ble MLA, Additional Chief Secretary (Finance) and other members of the Finance Committee. In his welcome address, the members were apprised about the performance and various activities being undertaken by the HPU. He also expressed his concern about the rising number of pensioners due to large number of superannuation's happening in the University and observed that Financial liability on account of pensioners benefits is

likely to shoot up substantially in future. Thereafter, formal Agenda Items were taken-up for discussion and the following decisions were taken:

Item Action Taken Report No. 2 & 3:

Confirmation of the minutes of the meeting held on 20.03.2017 and 09.05.2017.

- (i) The minutes of the meeting as circulated were confirmed. Further, the Finance Committee was apprised that 3 Swift Dzire were approved by the Finance Committee in its meeting held on 14.12.2015 vide Item No. 8, against which 02 vehicles of Swift Dzire Make were purchased on DGS&D Rates. However, at the time of purchase of third vehicle Maruti Swift Dzire model was not available on DGS&D rates and the University after waiting for a long time has purchased a Honda Amaze vehicle priced at Rs. 5,69,901/-. The Finance Committee confirmed the action of the University.
- (ii) The Finance Committee had accorded its approval to fill up two posts of JBT on contract basis in its meeting held on 20.03.2017 vide item 25. The said recommendations were placed before the Executive Council in its meeting held on 23.03.2017 vide item No. 17 and the Executive Council decided to convert one post of JBT to that of Language Teacher. The Finance Committee confirmed the action of the University and recommend that the language Teacher may be given the pay scale of Language Teacher prevalent in the State Government.
- (iii) Further, as per decision taken by the Finance Committee, 3 old Vehicles were decided to be

transferred to the Education Department for training purpose. Despite repeated requests/reminders, these have not been transferred till date. The Committee deliberated upon the issue and decided that the matter may be taken up with the Education Department once again and in case the possession of vehicles is not taken over by that department within one month, these vehicles may be disposed off through open auction after observing the codal formalities.

Item Release of benefits to various categories of No. 4: Technical Wing of HPU in pursuance to Govt. of HP Notifications issued since 1997 onwards.

The Finance Committee was apprised that the Notification No. Fin(C) B(7)-6/88-VI dated 30.08.1997 was adopted by the H.P. University vide Notification dated 13.10.1997 but the same could not be implemented so far.

The Committee deliberated upon the issue in detail and decided that the issue be re-examined with reference to benefits extended under old Assured Career Progression Scheme 8,16,24,32/ new ACPS 4-9-14 to the incumbents of these categories as no such benefits are available in three tier Pay Scale and a status report be submitted in next meeting.

Item Reimbursement of Hotel Expenses as per actual No.5: expenses. Or @ Rs. 2000/- to the examiners deployed to conduct examinations in different Centers within State.

The Finance Committee examined the proposal placed for consideration in detail and decided that firstly the availability of accommodation in Govt. Guest Houses, Rest Houses of HPPWD/Circuit Houses etc. be explored and in the event of non-availability of same, the Hotel expenses @ Rs. 1000/- per day be reimbursed to the teachers deployed to conduct the examinations in different examinations centers within the State.

Item Release of remuneration to the Teachers deployed No. 6: to conduct examinations.

The proposal regarding enhancement of remuneration to the teachers was discussed in detail and it was decided that before arriving at any final decision in the matter, the issue needs detailed examination as huge financial implication is involved in the proposal. Therefore, the proposal may be re-assessed and placed for consideration in the next meeting.

Item Exemption in remuneration limit of Rs. 18000/- to No. 7: HPU Staff.

The Finance Committee was apprised that the issue regarding increase in rates to enhance the ceiling of Rs.18,000/- was placed for consideration of the Finance Committee by circulation vide Agenda Item dated 09-05-2017. The ceiling of Rs.18,000/- was waived off for the financial year 2016-17 and the current UG/PG session of the year 2017-2018. Further it was also decided that the proposal with full details/justification may be placed for consideration of Finance Committee. Accordingly, the proposal was placed for consideration. The Finance Committee deliberated upon the issue and decided to enhance the limit from existing Rs.18,000/- per annum to Rs.35,000/- per annum w.e.f. 01.04.2017 onwards.

Item Increase in taxi charges being paid at the rate of No. 8: Rs. 8.74 paise per km.

The Finance Committee examined the proposal and decided to reimburse the TA claims as per TA Rules. However, in peculiar circumstances with recorded reasons, the Vice-Chancellor is authorized to reimburse the Taxi Charges to the examiners visiting from outside the State, over and above the existing rates of Rs. 8.74 paisa per km.

Item No.9: Relaxation in 5% quota fixed for employment on compassionate ground.

The Finance Committee examined the proposal as per Agenda placed for consideration and decided to relax 5% quota and educational qualification etc. wherever required for providing employment on compassionate grounds against vacant posts of Class-IV. The relaxation in said quota against class III posts shall be applicable only in Accidental cases.

Item Relaxation in eligibility criteria of qualifying No.10: service for further promotion as Additional Controller of Examination/P&DO.

The Finance Committee apprised that as per R&P Rules, the qualifying service for further promotion as Additional Controller of Examination/P&DO., is two years. The existing incumbents in the feeder category have completed one year's service and thus require relaxation up to one year in qualifying service. The committee deliberated upon the issue and decided to relax the qualifying service by one year for the vacancies arising up-to 31-03-2018.

Item Relaxation in qualifying services for further No.11: promotion as DR/AR.

The Finance Committee deliberated upon the proposal in detail and decided to grant relaxation of one year in qualifying service in favour of existing incumbents in the feeder category for further promotion as Deputy Registrar and Asstt. Registrar as proposed in the Agenda Item. This relaxation will be applicable upto 31.03.2018.

Item Creation of 6 post of AR,13 post of SO,34 posts of No.12: Superintendent and 54 posts of JOA.

Rejected.

Item Creation of skilled semi-skilled posts in No.13: construction Div. of HPU.

The Finance Committee was apprised that the various functional posts in Construction Division of H.P.University are lying vacant which need to be filled up on priority. The committee examined the proposal and decided to fill up the following vacant posts:-

1. Electrician	5 Nos.
2. Chowkidar	1 Nos.
3. Mason	2 Nos.
4. Sewer Man	2 Nos. (Against two
	vacant posts of Beldar
	by converting these
	posts to the cadre of
	the Sewer Man)

Further the Committee also recommended to execute the maintenance work by hiring the services of professional skilled personnel as per job requirement through a reputed Contractor after observing all codal formalities instead of creation/filling up of posts.

The Committee also decided that the aforesaid posts may be filled up by adopting/following the state government Notification No. Per(AP,B)B(15)-5/2014 dated 17-04-2017 and even number Notification dated 25-04-2017 whereby the system of holding interviews

for class III and class IV has been discontinued.

Item No.14:

Creation of eight posts of Restorer.

Rejected. The Finance Committee was however of the view that the university should work towards digitization of its records in view of its limited resources in terms of man powers, space and finances. The state government can also consider providing financial support for such digitization of records.

Item No.15:

Anomaly in Grade Pay of SO/AR.

Rejected

Item No.16:

Creation of 30 posts of Security Officers and 2 Security Supervisor.

Not Approved. However, the need based services of Home Guards can be requisitioned for security purpose.

Item No.17:

Relaxation in educational qualification in respect of Sh. Bhagwan Dass, Security Gurad for further promotion as security supervisor.

The Finance Committee considered the proposal and allowed relaxation in educational qualification in case the incumbent has completed 12 years of qualifying service as per R&P Rules.

Item No.18:

Release of pay scale to the laboratory staff of HPU.

Not Approved. The Pay Scale released by the Punjab Govt. followed by the Himachal Pradesh are Government for its employees. Therefore, the pay scales released by the Punjab University, Chandigarh cannot be considered for Lab staff of HPU. However, in case there are any categories in the university for which pay scales are not prevalent in the state government the Finance Committee can take a view regarding grant of suitable pay scales to such categories. A proposal in this regard may be brought before the committee.

Item Increase in remuneration being paid to No.19: Deans/HOD's.

The Finance Committee considered the proposal and decided that before arriving at any decision in the matter, the information regarding of grant remuneration/ Honorarium by the Agriculture University, Palampur and Horticulture University, Solan for such Deans/ HODs be obtained and placed before the Committee.

Item No. 20:

Creation of 02 posts of Clerks, 01 Library Attendant, 02 Peon, 01 Chowkidar, 01 Mali, 01 Sweeper and Computer Lab Attendant. Under SFS in UILS Deptt.

Deferred.

Item Creation of posts in University College of Business No.21: Studies (UCBS).

The Finance Committee perused the recommendations of the Board of Studies, Faculty of Commerce and Management Studies and the Standing Committee of the Academic Council and decided to accord its approval to create and to fill up the following posts under SFS in the Institute as under:-

Sr. No.	Name of the Post	Nos. of Post	Qualification	Pay Scale
1.	Assistant Professor (BBA)	06 (On Contract Basis)	As per UGC/AICTE	15600- 39100+6000 (GP)
2.	Assistant Professor (BCA)	05 (On Contract Basis)	As per UGC/AICTE	15600- 39100+6000 (GP)
3.	System Analyst	01 (On Contract Basis)	As per R&P Rules adopted by the University	10300- 34800+5000 GP
4.	Library	01(Contract	As per	As per pay

	Attendant	Basis)	University	band+ GP in
			Rules	State Govt.
5.	Peon	01(Daily	As per Govt.	Daily wages
		Wages Basis)	Notification No.	basis.
			Per(AP,B)B(15)-	
			5/2014 dated	
			17-04-2017 and	
			even number	
			Notification	
			dated 25-04-	
			2017.	

Regarding grant of incentive for Ph.D/M.Phil and No.22: other higher qualifications to the teaching Staff engaged under SFS in UIIT Department.

The Finance Committee observed that M.Tech. is an Essential Qualification for appointment as Assistant Professor in a Professional Institute like UIIT as per UGC norms. Besides, the State Government vide its Notification No-EDN-A-B(7)7/08 dated 14-02-2016 has discontinued the grant of such benefit of advance increments w.e.f. 01-10-2014. Hence the proposal was not approved.

Release of pay scale w.e.f 01.04.2013 instead of No.23: 01.04.2014 in favour of faculty members engaged under SFS in UIIT Deptt.

Deferred.

Item Creation of 6 posts of Assistant Prof., 01 post of No.24: System Analyst and 01 Programmer in UIIT Dept.

The Finance Committee perused the proposal and was of the view that the posts created on contract basis shall automatically be converted to regular basis as and when the incumbents recruited against the contractual post become eligible for release of Regular Pay Scale under SFS as per State Govt. policy. Therefore, the posts created on contract basis at the time of initial recruitment would be deemed to be created on regular Pay Scales of respective posts.

Item Release of I.R, M.R, EL and other benefits at par No.25: with regular employees to the staff recruited under SFS in UIIT Deptt.

The Finance Committee deliberated upon the proposal in detail and decided that the incumbents recruited under SFS in resource rich Institutes like UIIT,UILS etc. shall be eligible for benefits like CPS, Medical Reimbursement., Annual Increment, Earned Leave, Casual Leave, Maternity Leave, Study Leave, TA, Interim Relief etc. through SFS at par with regular employees of Himachal Pradesh University on release of regular Pay Scales subject to availability of funds against 40% ratio/allocation under SFS.

The Finance Committee was also of the view that the issue of grant of the regular pay scale to such SFS employees who complete their contractual service as per State Government policy can be decided at the administrative level in the University without bringing such matters before the Finance Committee.

Item Placement of Smt. Sarla Sharma Lab Attendant in No.26: UIIT Dept. as DEO-cum-clerk in with all consequential benefits.

Not Approved.

Item Release of Regular Pay Scale w.e.f 29.6.2007 on No.27: the analogy of Smt. Gitanjali Thapar.

Not Approved. The Finance Committee also decided that in future in all advertisement issued by the University for teaching/ non-teaching positions, it should be clearly stated whether the post(s) are on regular basis or contract basis and there should be no element of discretion at the University lev el in this regard at the time of issue of appointment orders.

Item Information regarding teaching/non-teaching

No.28: recruited through employees SFS in various Departments.

Deferred.

Item No.29:

Conversion of 9 JBT posts as TGT.

The Finance Committee deliberated upon the proposal and accorded its approval to upgrade 09 posts of JBT as TGT subject to fulfillment of requisite qualifications without creation of any new posts. These posts shall be filled up out of existing J.B.T. incumbents on seniority basis subject to their having requisite educational qualification of TGT.

Item No.30:

Conversion of vacant post of System Manager as System Analyst.

The Finance Committee accorded its approval to convert the vacant post of System Manager as System Analyst in the pay scale prevalent in the State Government, to be filled up through direct recruitment.

The Finance Committee also decided that all Class -III and Class – IV post in the university should be filled up on the pay scales prevalent in the State Govt.

Item No.31: Grant of Secretariat Allowance of Rs. 400/-per month contractual employees of Himachal Pradesh University.

Not Approved

Item No.32: Recruitment of 43 Peons against vacant posts.

The Finance Committee accorded its approval to fillup 15 posts of Peon on Daily Wage basis against vacant posts. These posts will be filled up in terms of instructions issued vide Notification No. Per(AP,B)B(15)-5/2014 dated 17-04-2017 and subsequent Notifications on the subject issued by the State Government whereby the process of holding Interviews for such posts has been discontinued.

Item No.33:

Acceptance of option of Sh. Vikram Dhawan on medical grounds tendered after due date i.e. 13.11.2012 to adopt New ACPS on completion of 4-9-14 years of service.

The Finance Committee accorded its approval to accept the option of Sh. Vikram Dhawan as an exceptional case on medical grounds being a Cancer patient.

Item No. 34

Absorption of the Services of Smt. Leena Mishra, (Project employee in Bio-Technology Department)

The Finance Committee accorded its approval to absorb the services of Smt. Leena Mishra on regular basis without any pay protection by creating a post of Data Entry Operator in the pay band of Rs.10300-34800+1900 (GP) in view of MOU signed by the HPU with the Advisor, Department of Bio Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India, New Delhi and the services rendered by her in the said project.

Item No. 35

Request of Seema Devi for regularization from retrospective effect w.e.f. 2005 instead of 2010.

Not Approved.

Item No.36:

Up-gradation of 02 posts of Junior Engineers as Assistant Engineers as a measure personal to the exiting incumbents stagnated for more than 26 year as J.E'S.

The Finance Committee accorded its approval to upgrade 02 posts of Junior Engineers as Asstt. Engineers as a measure personal to the existing incumbents as proposed in the Agenda item. These posts shall revert to the cadre of Junior Engineers on vacation by the said incumbents.

Item

Up-gradation of the post of Marker as Sports

No.37: Supervisor -cum-Store Assistant in Physical Education Directorate.

Not Approved

Item Re-designation of the post of System Analyst as No.38: Associate Professor.

Not Approved. The Finance Committee was, however, of the view that in case suitable justification exists for upgradation of the post of System Analyst due to stagnation of existing incumbent, a proposal may be brought before the Finance Committee for consideration.

Item No.39:

Up-gradation of one post of Asstt. Engineer as Executive Engineer, as a measure personal to the existing incumbent stagnated for more than 25 years at one post.

Approved as proposed. The post of Executive Engineer shall revert to the cadre of Assistant Engineer/Junior Engineer on vacation by Shri Naresh Kumar Sharma, Asstt. Engineer.

Item No.40:

Absorption of the Drivers recruited under SFS against the available vacant post in main strength of HPU.

Not Approved. However, the Finance Committee was of the view that in such cases possibility of having limited direct recruitment should be explored for which a proposal be drafted and placed before the Finance Committee for consideration in its next meeting.

Item Purchase of two New Vehicles along with Driver.

No.41:

The Finance Committee accorded its approval for purchase of two New Vehicles i.e. BOLERO Make for DSP (Chief Security Officer) and INNOVA for use in Inspections of Colleges/ Examination Centers along with two drivers on contract basis.

Item Purchase of New Vehicles Maruti Swift Dzire for No. 42: ICDEOL

The Finance Committee accorded its approval to purchase Maruti Swift Dzire vehicle out of Student Funds of ICDEOL along with driver on contract basis.

Item Creation/filling up of one post of Sweeper at No.43: Regional Center Dharmsala under SFS.

Approved as proposed.

Item No.44:

- (i) Adoption of R&P rules framed by Deptt. of Personnel vide letter dated 24.11.2010 for future recruitment
- (ii) Protection of pay scale/GP of rupees 2400/granted to heavy vehicle Drivers on the analogy of HRTC prior to 01.10.2012.

The Finance Committee accorded its approval to adopt the R&P Rules framed by the Department of Personnel, Govt. of H.P. vide letter dated 24.11.2010 as proposed in the Agenda. Further, the Grade Pay of Rs. 2400/- granted in favour of Heavy Vehicle Drivers on the analogy of HRTC prior to 01.10.2012 shall be continued to be drawn as a measure personal to them till further orders. The Committee expressed its concern and took a serious note regarding release of over time on the analogy of HRTC as both the services

are different from each other. The overtime allowance in HRTC is for continuous steering duties and not for occasional/ intermittent nature of duties being performed by the Drivers of HPU. The Drivers engaged by HPU are getting rest/pause at each trip, hence they are not entitled for overtime allowance. The Finance Committee, therefore, decided that the matter concerning the overtime allowance may be brought before the committee with all details in the next meeting for consideration/decision.

Item
No.45:

Request of Dr. Gitanjali Thapar, Assistant Prof.(Eng.) for regular appointment instead of contractual.

Not Approved.

Item
No.46:

Request of Smt. Reena Kumari, Chanchal Kumari and Pushpa Devi, Degree writer to absorb them against class-III posts.

The Committee deliberated in detail on the issue and decided that details regarding the educational qualifications of these Degree writers may be brought before the Finance Committee in its next meeting to consider whether their service can be considered for absorption in the class-III category or not.

Item
No.47:

Representation in Finance Committee for nonteaching employees by making necessary amendment in Sec-39 of the Statute.

Not Approved. The Committee decided that the matter may be referred to the State Government as this does not fall within the purview of Finance Committee.

Item
No.48:

Creation of 1 post of Chief Liaison Officer at Delhi.

Deferred.

Item No.49:

Recruitment of 1 research Officer and 1 Project Officer in IIHS on contract basis.

Not Approved.

Item No.50:

Recruitment of 1 helper to mechanic on daily wage basis.

Approved as proposed.

ANY OTHER ITEMS:

Item No. 51:

Enhancement of Wages of Kanoongo (Retired)

The Finance Committee was apprised that the H.P. University has hired the services of Kanoungo (Retd.) on consolidated sum of Rs. 10000/ P.M. The said incumbent is making frequent requests to increase the monthly remuneration. The committee deliberated upon the issue and accorded its approval to pay remuneration on the basis of last pay drawn minus pension for a period of one year only subject to monthly review of his performance/work.

Item No. 52

Regarding grant of incentive for Ph.D/M.Phil and other higher Qualifications to teachers of HPU.

The Finance Committee did not approve the proposal in view of State Government Notification No. EDN-A-B(7)7/08 dated 14-02-2016 whereby the grant of such Advance Increments has been discontinued w.e.f. 01.10.2014 by the State Government.

Item No 53.

Release of Pay Scale and Grade pay to the Security Staff of HPU at par with Police Department.

Rejected.

Item Legal fee/charges of Sh. Munish Prabhakar, Senior No 54. Advocate, Punjab & Haryana High Court engaged by Director, ICDEOL:

After deliberating on the issue, the Finance Committee was of the view that such legal charges payable to the Legal Counsel, should be decided and got approved from the Hon'ble Vice-Chancellor and there is no need to bring such items before the Finance Committee.

The meeting ended with a vote of thanks to and from the Chair.

Sd-/ (Narinder Thakur)	Sd/- (Pankaj Lalit)	Sd/- (S.S.Chauhan)		
Sd/- (Srikant Baldi)	Sd/- (S.C. Bhadwal)	Sd/- (Anirudh Singh)		
Confirmed Sd/-				
(Rajinder Singh Chauhan) Vice-Chancellor HPU				